

नाम पीठारीन अधिकारी :- श्री प्रफुल्ल शर्मा आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 09/2020

प्राथीगण

बनाम

विप्राथीगण

1 पीथाराम 2 हीराराम पिरारान
पेमाराम 3 जेतीदेवी पत्नी पेमाराम
जाति जाट निवासी जसोताणियों की
ढाणी (उण्डखा) तहसील व जिला
बाडमेर।

1 सताराम 2 लीकूराम 3 नारणाराम 4
खीयाराम पिरारान सताराम 5 सारो पत्नी
सताराम 6 चनणीदेवी पत्नी धर्माराम 7
बगतुदेवी पत्नी खरथाराम जाति जाट
निवासी बागासर (बीखला) तहसील बायतु
8 शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरुभूमि प्राथीण
बैंक शाखा बाडखा 9 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 RTA Act.

उपस्थिति :- 1 श्री मेघाराम चौधरी, वकील प्राथीगण।

2 श्री उगाराराम साहरण, वकील अप्राथीगण।


निर्णय

दिनांक 10/08/2020

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्राथीगण एवं अप्राथी संख्या 01 से 05 की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा जसोताणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र बाडखा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 79 रकबा 75.05 बीघा आई हुई है। उक्त भूमि प्राथीगण व अप्राथी संख्या 01 से 05 के पूर्वज स्वर्गीय पेमाराम व सताराम द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बेचान क्रय की थी तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात उक्त भूमि प्राथीगण व अप्राथी संख्या 01 से 05 के नाम वारिसान होने के कारण दर्ज हुई। स्वर्गीय सताराम द्वारा अपने जीवनकाल में 10.00 बीघा भूमि का बेचान अप्राथी संख्या 06 तथा 10.00 बीघा भूमि अप्राथी संख्या 07 को बेचान कर दी। वादग्रस्त भूमि में स्वर्गीय पेमाराम के वारिसान प्राथीगण का 1/2 हिस्सा तथा स्वर्गीय सताराम के वारिसान अप्राथी संख्या 01 से 05 का 1/2 है उसी अनुसार मौके पर बाहमी रूप से बंटवाड़ा कर कब्जा कर्त है। अप्राथी संख्या 06 व 07 का मौके पर कोई कब्जा कर्त नहीं है। अप्राथी संख्या 01 से 05 अप्राथी संख्या 06 व 07 के साथ मिलकर प्राथीगण के बाहमी बंटवाड़े अनुसार भौतिक कब्जे कर्त व उपजाऊ की हुई भूमि में आये दिन हस्तक्षेप करते आ रहे हैं तथा संयुक्त कब्जे कर्त की अविभाजित भूमि को अजनबी कर्तकारों को विक्रय करने पर उतारू है। यदि अप्राथीगण उसमें सफल होते हैं तो प्राथीगण की उपजाऊ भूमि पर बलपूर्वक कब्जा कर लेंगे, जिससे अप्राथीगण को अपूर्ण क्षति होगी। लिहाजा प्राथीगण के पक्ष में तथा अप्राथीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमल्य की जारी की जावे कि अप्राथी संख्या 01 से 05 प्राथीगण के कब्जा कर्त से बेदखल न करे और न ही भूमि का हस्तान्तरण किसी अन्य को करे। मौके व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्राथीगण के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। अप्राथीगण को जरिये नॉटिस तलब किया गया।

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाडमेर


सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाडमेर

अप्रार्थी संख्या 01 से 07 द्वारा जरिये वकील उपस्थित होकर जवाब इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 07 वादग्रस्त भूमि के संयुक्त खातेदार हैं। मौके पर आपसी सहमति से बाहमी तौर पर बंटवाड़ा कर अपने-अपने हिस्से पर काबिज होकर काशत करते आ रहे हैं। प्रार्थीगण द्वारा बदनीयती से अप्रार्थीगण को कृषि कुए का निर्माण करने एवं उस पर विद्युत कनेक्शन से महरूम रखने के लिए यह आवेदन प्रस्तुत किया है। अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार हैं तथा सहखातेदारान को उसकी कृषि जोत के विक्रय से महरूम नहीं रखा जा सकता। प्रार्थीगण के कब्जा काशत की भूमि में अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है और न ही प्रार्थीगण को इसमें सफलता मिलने की संभावना है। लिहाजा आवेदन खारिज योग्य है।

आवेदन पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त कब्जा काशत की खातेदारी भूमि है, जिसका मौके पर बाहमी तौर पर बंटवाड़ा कर प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काशत करते आ रहे हैं। अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण की उपजाउ भूमि पर बलपूर्वक कब्जा करने की फिराक में है। साथ ही भूमि को अजनबी व्यक्तियों को विक्रय करने पर उतारू है। यदि उसमें वे सफल होते हैं तो अजनबी व्यक्ति उनकी उपजाउ भूमि पर बलपूर्वक कब्जा कर सकते हैं, जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में है। लिहाजा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को वाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जावे।

वकील अप्रार्थीगण द्वारा जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त संयुक्त खातेदारी की कब्जा काशत की भूमि पर बाहमी तौर पर किये गये बंटवाड़े के अनुसार काबिज है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की कब्जा काशत की भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार है और सहखातेदारान को अपनी कृषि भूमि को विक्रय करने से रोकने का कोई कानून नहीं है। लिहाजा आवेदन खारिज योग्य है।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। उभय पक्ष के विद्वान वकूलाय द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर चिन्तन-मनन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवोकन से यह ज्ञात होता है कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा उभय पक्षों ने इस बात को स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि का बाहमी तौर पर बंटवाड़ा कर उभय पक्ष अपने-अपने हिस्से की खातेदारी भूमि पर काबिज है। वकील अप्रार्थीगण का यह तर्क उचित प्रतीत होता है कि अप्रार्थीगण को उनकी खातेदारी भूमि के विक्रय से रोका जाना न्यायोचित नहीं है। सहखातेदार को उसकी खातेदारी भूमि को विक्रय करने से रोकने की कानून की भी मंशा नहीं है। प्रार्थीगण की यह शन्का भी जायज प्रतीत

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) बाड़मेर

पकट
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) बाड़मेर

ती है कि अप्रार्थीगण अजनबी क्रेता को भूमि का विक्रय कर देंगे तो अजनबी क्रेता अप्रार्थीगण की उपजाऊ भूमि पर बलपूर्वक कब्जा कर सकते हैं।

उपर्युक्त विवेचनोपरान्त यह आवेदन इन निर्देशों के साथ निर्णित किया जाता है कि मौजा जसोताणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 79 रकबा 75.05 बीघा भूमि में अप्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि को विक्रय करने हेतु स्वतंत्र है, परन्तु अजनबी क्रेता भूमि का विमाजन करवाये बिना वादग्रस्त भूमि में प्रविष्ट नहीं हो सकेंगे। पत्रावली सुमार फ़ैसल होकर दाखिल दफ़्तर हो।



(प्रशान्त शर्मा)
सहायक कलक्टर
(फास्टट्रेक) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक10/08/20..... को सरें इजलास सुनाया गया।



सहायक कलक्टर
(फास्टट्रेक) बाड़मेर

